संख्या-45/2021/1696/58-2021

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में माह अगस्ते तथा सितम्ब-र हेतु कुल रू0-6553.30 लाख की वित्तीय स्वीमकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-52/बजट/2021-22, दिनांक 02-9-2021 की ओर आपका ध्या1न आकृष्ट0 करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में गत वर्ष के पुनर्वैध केन्द्रांश रू-0 6259.49 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0-4173.00 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) की धनराशि रू0 6877.98 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 17310.47 लाख के सापेक्ष माह अगस्त- तथा सितम्ब र हेतु निम्न् तालिका में दी गयी फॉट के अनुसार विभिन्नय मानक मदों में केन्द्रां श, राज्यांशि तथा अतिरिक्तन राज्यांश की कुल रू0-6553.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यंपाल महोदय निम्नि शर्तों/प्रतिबन्धोंत के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

अनुदान सं0-10 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/ मद का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांतश	योग
2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन(के.60/रा.40 - के.+रा.)	27-सब्सिडी	2245.90	1497.27	2589.72	6332.89
	42-अन्य व्यय	109.08	72.72	-	181.80
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	23.17	15.44	-	38.61
	योग-	**2378.15**	**1585.43**	**2589.72**	**6553.30**

(धनराशि रू0 पैसठ करोड़ तिरपन लाख तीस हजार मात्र)

1. विभागाध्य क्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब विभागाध्याक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व विभागाध्याक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित पुनर्वैध केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. विभागाध्यकक्ष द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
7. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यवक्ष का होगा।
8. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभागाध्यधक्ष का उत्तरदायित्व रहेगा।

9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

10. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11. विभागाध्यरक्ष सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

12. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

13. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

14. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

16. योजनान्तयर्गत अन्य2 व्यिय एवं प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्यन सरकार का अंश 60ः40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्दां्श, राज्यांएश एवं अतिरिक्ता राज्यांजश का अनुपात शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 के अनुसार निहित होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्य्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में उपरोक्तत तालिका में वर्णित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्तक विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-970-दस-2021-2022, दिनांक-09 सितम्बरर, 2021 में प्राप्त् उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

<u>संख्या 45/2021/1696(1)/58-2021 तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य1क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्तख नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कोरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्यख कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीवय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्तक (आय-व्यखय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्तक (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव